

धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात- जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2024

स्थापना आदेश, परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि

कुल - 28 [स्थापना आदेश-सं. 146-169(24), 2 स्थापना परिपत्र, 1 सतर्कता परिपत्र,

1 जन संपर्क अधिकारी परिपत्र, कुल-28]

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	आदेश सं-146/2024	10.07.2024	अनुवाद किया गया	RCR
2	आदेश सं-147/2024	10.07.2024	अनुवाद किया गया	RCR
3	आदेश सं-148/2024	09.07.2024	अनुवाद किया गया	RCR
4	आदेश सं-149/2024	11.07.2024	अनुवाद किया गया	RCR
5	आदेश सं-150/2024	14.07.2024	अनुवाद किया गया	TGV
6	आदेश सं-151/2024	15.07.2024	अनुवाद किया गया	TGV
7	आदेश सं-152/2024	15.07.2024	अनुवाद किया गया	RCR
8	आदेश सं-153/2024	23.07.2024	अनुवाद किया गया	RCR
9	आदेश सं-154/2024	25.07.2024	अनुवाद किया गया	TGV
10	आदेश सं-155/2024	25.07.2024	अनुवाद किया गया	RCR
11	आदेश सं-156/2024	01.08.2024	अनुवाद किया गया	RCR
12	आदेश सं-157/2024	01.08.2024	अनुवाद किया गया	TGV
13	आदेश सं-158/2024	05.08.2024	अनुवाद किया गया	TGV
14	आदेश सं-159/2024	06.08.2024	अनुवाद किया गया	CTB
15	आदेश सं-160/2024	13.08.2024	अनुवाद किया गया	TGV
16	आदेश सं-161/2024	13.08.2024	अनुवाद किया गया	TGV
17	आदेश सं-162/2024	13.08.2024	अनुवाद किया गया	TGV
18	आदेश सं-163/2024	14.08.2024	अनुवाद किया गया	TGV
19	आदेश सं-164/2024	23.08.2024	अनुवाद किया गया	TGV
20	आदेश सं-165/2024	21.08.2024	अनुवाद किया गया	RCR
21	आदेश सं-166/2024	23.08.2024	अनुवाद किया गया	TGV
22	आदेश सं-167/2024	23.08.2024	अनुवाद किया गया	RCR
23	आदेश सं-168/2024	28.08.2024	अनुवाद किया गया	TGV
24	आदेश सं-169/2024	03.09.2024	अनुवाद किया गया	RCR

स्थापना परिपत्र

क्रम सं	स्थापना व सतर्कता व जन संपर्क अधिकारी परिपत्र	दिनांक	कार्रवाई	
1	स्थापना परिपत्र	07.08.2024	अनुवाद किया गया	CTB
2	स्थापना परिपत्र	08.08.2024	अनुवाद किया गया	CTB
3	सतर्कता परिपत्र सं - 3/2024	05.07.2024	अनुवाद किया गया	TGV
4	स्वतंत्रता दिवस परिपत्र	09.08.2024	द्विभाषी जारी किया गया	TGV



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/41/2020-Estt

दिनांक : 03.09.2024

आदेश सं.: 169/ 2024

विषय:केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के उप /सहायक
आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र द्वारा दिनांक 22.08.2024 को कार्यालय आदेश संख्या 26/2024 (डीजीएचआरडी/एसी-डीसी/271/2024) जारी करने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच निम्नलिखित कार्य आवंटन/लिक अधिकारियों का आदेश दिया जाता है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	माया कुरियन	का.व सत., प्रशासन, लेखा एवं सिस्टम्स	शरतचंद्रन एम	शांति वी
2	आर षैजु	न्यायनिर्णयन और डीजीएआरएम	राजा टोमी	शरतचंद्रन एम
3	रंजित शांतकुमार	समीक्षा,आधारिक संरचना, कल्याण, खेल एवं मुख्यालय	शुभा चंद्रन	राजा टोमी
4	शुभा चंद्रन	लेखा परीक्षा एवं कर बकाया वसूली	आर षैजु	रंजित शांतकुमार
5	शरतचंद्रन एम	अपवंचनरोधी, मुकदमा, सत्यापन कक्ष, तकनीकी, ससंद प्रश्न एवं सांख्यिकी	माया कुरियन	शुभा चंद्रन
6	राजा टोमी	सीआरयू, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सूचना अधिकार (केंद्रीय जन सूचना अधिकारी) एवं प्रशिक्षण	शांति वी	आर षैजु
7	शांति वी	विधिक	रंजित शांतकुमार	माया कुरियन
8	माया चंद्रन	आलुवा मंडल	बीना वास एस	रामस्वामी एस
9	सुदर्शन नानासाहेब सोनावने	एर्णाकुलम मंडल	रामस्वामी एस	मेरीकुट्टी चाको
10	रामस्वामी एस	काक्कनाड मंडल	मेरीकुट्टी चाको	सुदर्शन नानासाहेब सोनावने
11	बीना वास एस	चालक्कुडी मंडल	शशिधरन	माइकल टी एच

12	शशिधरन	त्रिशूर मंडल	माया चंद्रन	बीना वास एस
13	मेरीकुटी चाको	पेरुम्बावूर मंडल	माइकल टी एच	शशिधरन
14	माइकल टी एच	इडुक्की मंडल	मेरीकुटी चाको	रामस्वामी एस

यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर/संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप सहायक आयुक्त/,केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
3. केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख।
4. अधीक्षक) सिस्टम्स(केकर एवं . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

आदेश सं.: 168 / 2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

दिनांक 23.08.2024 के आदेश संख्या 166/2024 के जारी होने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।


क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	मोहन जोसफ	25.05.1968	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	लेखा परीक्षा अनुभाग, मु., कोच्चि

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।

3. नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अधिकारी से कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।


4. नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 06.09.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

सेवा में


टोजो डेविस/TOJO DAVIS
अधीक्षक/SUPERINTENDENT
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL EXCISE

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

॥ अनुप्रमाणित ॥


[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/1/2024-Estt

दिनांक / Date : 23.08.2024

आदेश सं.: 167 / 2024

विषय : आशुलिपिक ग्रेड- I की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

आशुलिपिक ग्रेड- I की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	अमित कुमार	15.09.2000	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड आयुक्तालय

2. उपरोक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 04.09.2024 तक किया जाना चाहिए और अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 09.09.2024 तक इस कार्यालय तक पहुंच जानी चाहिए

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा/ कोयिक्कोड

प्रतिलिपि

- मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा/ कोयिक्कोड
- अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
- वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

आदेश सं.: 166 / 2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के केंद्र में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के केंद्र में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	पी ओ एंटणी	05.04.1967	सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	सीसीओ-सीपीसी
2.	मोहन जोसफ	25.05.1968	सीसीओ-सीपीसी	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।

3. किसी भी अधिकारी के नए तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले उसके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

4. नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 30.08.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

सेवा में

TOJO DAVIS
अधीक्षक/SUPERINTENDENT
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL EXCISE

॥ अनु प्रमाणित ॥

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है


1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

2. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि

3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि/ सीमाशुल्क निवारक
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि/ सीसीपी
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(11)/5/2021-ESTT

स्थापना आदेश सं.: 165/2024

विषय : निरीक्षक की श्रेणी में स्थायीकरण -सं.


कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय जापन सं. 28020/1/2010 -Estt.(C) दिनांक 21.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने सूचित तारीख से निरीक्षक की श्रेणी में स्थाई बनाई गई हैं : -

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	स्थाईकरण की तिथि
1	बालगोविन्द राजीव	01.04.1989	21.03.2023
2	कमल कृष्णन आर	12.03.1992	21.03.2023
3	पर्सेन कुमार	10.03.1990	31.07.2023
4	अनंधु नानू उदयनन	11.04.1990	21.03.2023
5	जज़ील एम सी	09.10.1994	18.11.2023
6	रानी मरिया जॉन	08.06.1990	23.11.2023
7	आषिन एम	03.10.1995	18.11.2023
8	संजय प्रदीप	10.03.1996	01.12.2023
9	हरिकृष्णन	25.01.1992	25.11.2023
10	श्रीदीप मेनोन वी पी	02.05.1993	22.11.2023
11	किरण एस	05.02.1993	18.11.2023
12	मैथ्यूस जॉर्ज सी	18.01.1994	18.11.2023
13	अतुल एम दास	06.08.1994	01.12.2023
14	प्रशांत कुमार जी	28.05.1993	18.11.2023
15	जितिन जोस	19.11.1993	18.11.2023
16	राहुल शंकर	20.03.1995	18.11.2023
17	शालमोन एब्रहाम	13.08.1993	18.11.2023
18	सुजिन के	29.11.1992	18.11.2023
19	अभिजीत एस	19.02.1993	22.11.2023
20	प्रजीत	04.07.1995	06.12.2023

21	विष्णु अशोकन	27.06.1993	30.12.2023
22	वैशाख एस	29.08.1990	01.12.2023
23	वेमु नवीन निश्चल	21.08.1989	06.12.2023
24	हरी सिंह मीना	04.08.1997	29.12.2023
25	नरेंद्र सिंह मीना	04.08.1997	29.12.2023
26	सजित मोहन	20.06.1993	18.11.2023
27	परदीप कुमार	20.03.1991	29.04.2024

2. संबन्धित व्यक्ति की सेवा पंजी में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएँ ।

3. यह आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।



[रानी सी आर]

अपर आयुक्त [का.व सत.]

सेवा में

सभी व्यक्तियों को [संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क , तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड/अपील /ले प.(कोच्चि)
2. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त
3. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
4. प्र .अधिकारी (वेतन बिल अनुभाग), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. अधीक्षक(गोप./सत.)केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. अधीक्षक(सिस्टम्स),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT

आदेश सं.: 164 / 2024

विषय : - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।


क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि	...से	... को
1.	अभिषेक कुमार	16.10.1995	सीजीएलई 2023 - नई भर्ती	केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
2.	मारी ध्रुवा तेज	01.03.1998	सीजीएलई 2023 - नई भर्ती	केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोळिक्कोड
3.	जैसण पीटर	17.05.1994	सीजीएलई 2023 - नई भर्ती	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन


2. अधिकारियों को तत्काल अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है।

3. किसी भी अधिकारी की ओर से नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

4. यह केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

5. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 23.08.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।


टोजो डेविज/TOJO DAVIS
अधीक्षक/SUPERINTENDENT
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL EXCISE


[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

11 अनुप्रमाणित

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त
5. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालयों के उप /सहायक आयुक्त
6. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय
7. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय
8. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/17/2024-ESTT

आदेश सं.: 163 /2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।


केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	...से	... को
1.	जयदीप सी	निरीक्षक	17.02.1975	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.,कोच्चि	रेंज 4,एर्णाकुलम मंडल
2.	आषिन एम	निरीक्षक	03.10.1995	सिस्टम्स अनुभाग.मु.,कोच्चि	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.,कोच्चि

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।


3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

4. नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 19.08.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।


टोजो डेविज़/TOJO DAVIS
अधीक्षक/SUPERINTENDENT
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL EXCISE

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)


[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

॥ अनुप्रमाणित ॥

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति : 1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त

2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि

4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT.

दिनांक : 13.08.2024

स्थापना आदेश सं.: 162 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90741)


विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोजगार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022-Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री जैसण पीटर को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 08.08.2024 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।


श्री जैसण पीटर को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, श्री जैसण पीटर स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 16593/2023 में सुनाए गए फैसले के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल एवं अन्य द्वारा दायर एल.पी.ए. संख्या 202/2024 के परिणाम के अधीन होगी।


(टी जी वेकटेश)
आयुक्त

सेवा में,


टोजो डेविस/TOJO DAVIS
अधीक्षक/SUPERINTENDENT
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL EXCISE

॥ अनुसमाप्त ॥

श्री जैसण पीटर,
पारयिल कुडियिरिप्पिल हाउस,
काडुकुट्टी डाक, त्रिशूर,
केरल - 680309

प्रतिलिपि समर्पित

1. अवर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT.

दिनांक : 13.08.2024

स्थापना आदेश सं.: 161 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90695)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोजगार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022-Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री मारी ध्रुवा तेज को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक 05.08.2024 (अपराहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री मारी ध्रुवा तेज को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, श्री मारी ध्रुवा तेज स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 16593/2023 में सुनाए गए फैसले के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल एवं अन्य द्वारा दायर एल.पी.ए. संख्या 202/2024 के परिणाम के अधीन होगी।

डी
(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री मारी धुवा तेज,

हाउस नं 356524, विवेक नगर कॉलोनी,

गोपालपुर, हनमकोंडा, वारंगल,

जिला - हनमकोंडा, तेलंगाना, 506001

TOJO DAVIS
SUPERINTENDENT
CENTRAL EXCISE

॥अनु प्रमाणित॥

प्रतिलिपि समर्पित

1. अवर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT.

दिनांक : 13.08.2024

स्थापना आदेश सं.: 160 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90687)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोजगार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्लियूएस) श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022-Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अभिषेक कुमार को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 05.08.2024 (अपराहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री अभिषेक कुमार को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, श्री अभिषेक कुमार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 16593/2023 में सुनाए गए फैसले के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल एवं अन्य द्वारा दायर एल.पी.ए. संख्या 202/2024 के परिणाम के अधीन होगी।

४/-
(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अभिषेक कुमार,
गाँव - मांगुराहा, थाना - गोविन्दगंज,
जिला - पूर्वी चंपारन,
बिहार, पिन - 845458


॥ अंतः प्रमाणित ॥

प्रतिलिपि समर्पित

1. अवर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt.

दिनांक :06.08.2024

आदेश सं.: 159/2024

विषय : कर सहायक की श्रेणी में तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
आयुक्तालय -संबन्धित।

कर सहायक की श्रेणी में निम्नलिखित तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/कु.)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	वैष्णवी ई के	09.04.1999	स्थापाना अनुभाग, मु. कोच्चि	लेखा अनुभाग, मु., कोच्चि

सेवा में
टो जो डेविज / TOJO DAVIS
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL EXCISE
॥ अनु प्रमाणित ॥
संबन्धित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त [का.व सत.]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति :

- मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोच्चि
- अधीक्षक((सिस्टम्स)/अधीक्षक (सतर्कता), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
- वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

आदेश सं.: 158 / 2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

दिनांक 01.08.2024 के आदेश संख्या 157/2024 के जारी होने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	के एम बिनु	06.11.1978	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	जन संपर्क अधिकारी अनुभाग, मु.,कोच्चि

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

4. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 14.08.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

सेवा में

टो जो डेविज/TOJO DAVIS
अधीक्षक/SUPERINTENDENT
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL EXCISE

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

टी-
[टी जी वेंकटेश]

आयुक्त

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

2. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

आदेश सं.: 157 / 2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।


क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	पदनाम	जन्म तिथि	...से	... को
1.	के एम बिनु	अधीक्षक	06.11.1978	सीसीओ-सीपीसी	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2.	मोहन जोसफ	अधीक्षक	25.05.1968	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीसीओ-सीपीसी
3.	चिन्मय नंदकुमार सिंह	निरीक्षक	02.04.1983	सीजीएसटी गुवाहाटी क्षेत्र से वापस लाया गया (अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण रद्द)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद लेखा परीक्षा शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
4.	मल्लजीत सोनोवाल	निरीक्षक	26.12.1983	सीजीएसटी गुवाहाटी क्षेत्र से वापस लाया गया (अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण रद्द)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड

2. GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT में जारी केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के संवर्ग में दिनांक 15.07.2024 के स्थानांतरण आदेश संख्या 151/2024 को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।


3. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।

4. किसी भी अधिकारी की ओर से नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

5. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 08.08.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।


[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में


TOJO DAVIS
SUPERINTENDENT
CENTRAL EXCISE

॥ अनुप्रमाणित ॥

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (लेखा परीक्षा), कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, तिरुवनंतपुरम/
कोयिक्कोड/कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /
सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि के उप /सहायक
आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद
शुल्क, मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय
उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा,
कोच्चि
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt.

दिनांक :01.08.2024

आदेश सं.:156 / 2024

विषय : कर सहायक/अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेडों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

कर सहायक/ अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	नवीन कुमार टी एस., टीए	31.05.1968	पदोन्नति पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड आयुक्तालय
2.	राहुल टी राज, एलडीसी	09.08.1986	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि

2. उपरोक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 02.08.2024 तक किया जाना चाहिए तथा अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 09.08.2024 तक इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/कोयिक्कोड/अपील

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि/कोयिक्कोड/अपील
2. अधीक्षक((सिस्टम्स)/अधीक्षक (सतर्कता),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/31/2020-ESTT

दिनांक: 26.07.2024

आदेश सं. : 155 / 2024

विषय: सहायक सब-इंस्पेक्टर (आयुध) के श्रेणी में पदोन्नति – संबन्धित।

निम्नलिखित हेड हवलदार को भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत अन्य भतों सहित वेतन मैट्रिक्स में (21,700-69,100 रुपये) स्तर-3 में, अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित, समूह 'ग', सहायक सब-इंस्पेक्टर (आयुध) के रूप में नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से इस के साथ पदोन्नत किया जाता है।

क्रम सं	नाम (श्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनात स्थान
1.	मुकेश पी	11.03.1967	सीमा शुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

2. अधिकारी को दिनांक **09.08.2024** तक पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी उच्च पद में पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा। इनकार, यदि कोई हो, उसे तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा. दिनांक 26.09.81 और 05.07.1999 और 27.07.2017 के अधीन वेतन निर्धारण का विकल्प देना होगा। एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा।

3. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में नियंत्रण अधिकारियों/सम्बंधित अधिकारियों द्वारा जारी अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 13.08.2024 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड /तिरुवनंतपुरम
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
4. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि

5. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीसीपी
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, सीसीपी
3. अधीक्षक(सिस्टम्स)केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
4. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु
5. सचिव, केरल केंद्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ग' अधिकारी संघ, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

II/(3)/APPT/25/2020-ESTT


आदेश सं.: 154 / 2024


विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भत्ते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये(वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, गुपबी' पद, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में तदर्थ और इन-सीटू आधार पर उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री / श्रीमती)	जन्म तिथि
1	वेद प्रकाश(श्रवण बाधित)	05.12.1991

2. ऊपर उल्लिखित अधिकारी को उच्च पद पर दिनांक 26.07.2024 को या उसके बाद और दिनांक 08.08.2024 तक कार्यग्रहण करना चाहिए।


[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में 
टोजो डेविज/TOJO DAVIS
अधीक्षक/SUPERINTENDENT
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL EXCISE

॥ अनुप्रमाणित ॥

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
प्रति :

- अपर महानिदेशक, मानव संसाधन विकास महानिदेशालय, सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर, इकोण भवन, पश्चिम शाखा, भूतल, प्लॉट नं सी -4, जिला सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम,
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिककोड
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय कोच्चि ,
- सीमा शुल्क निवारक आयुक्त कोचिन ,
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय कोच्चि ,
- अपर महा निदेशक, डीजीजीआई /डीआरआई, आंचलिक इकाई,
तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड/ कोच्चि

8. मुख्य लेखा अधिकारी वेतन एवं लेखा अधिकारी /,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि
9. प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), अधीक्षक (गोप./सत.),कोच्चि
10. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
11. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2022-ESTT

दिनांक :23.07.2024

आदेश सं.: 153 / 2024

सीबीआईसी ने पत्र फाइल सं.ए.32022/110/2019-एडी IIIA दिनांक 10.01.2024 और फाइल सं.ए.32022/40/2023-AD.IIIA दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से श्री शहीद इदरीश और अन्य द्वारा दायर ओए संख्या 341/2022 में माननीय कैट आदेश दिनांक 07.02.2023 को स्वीकार कर लिया और एसएससी सीजीईएल 2011 और 2012 के अतिरिक्त परिणाम के आधार पर नियुक्त (लेकिन बाद में विभिन्न तिथियों में कार्यग्रहण किए) समान उम्मीदवारों को लाभ देने का निर्णय लिया | आदेश के अनुसार, आवेदकों को सीजीईएल 2011 और 2012 में उनके रैंक क्रम के अनुसार काल्पनिक वरिष्ठता अधिकार दिया जाएगा और परिणामी लाभ जिसमें काल्पनिक पदोन्नति और वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण शामिल हो सकता है। हालाँकि, उन्हें ऐसे वित्तीय लाभों के किसी भी बकाया पर कोई दावा नहीं होगा, क्योंकि यह लाभ काल्पनिक आधार पर दिया जाता है। उपर्युक्त बोर्ड के पत्रों के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारियों के संबंध में वरिष्ठता को फाइल फाइल GEXCOM/III/(3)/4/2022-ESTT -O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI से जारी आदेश संख्या 43/2024 दिनांक 05.03.2024 के माध्यम से पुनः निर्धारित किया गया था।


2. अतः नीचे उल्लिखित अधिकारियों को उनके तत्काल कनिष्ठ अधिकारी की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नानुसार काल्पनिक आधार पर नियुक्त किया गया है:

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री / श्रीमती)	प्रारंभिक नियुक्ति विवरण	काल्पनिक नियुक्ति का विवरण
1	परदीप कुमार	स्थापना आदेश संख्या 48/2022 दिनांक 10.05.2022 के माध्यम से दिनांक 29.04.2022 को निरीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किए	स्थापना आदेश संख्या 48/2022 दिनांक 10.05.2022 के अनुक्रम में दिनांक 12.12.2013 से 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स (रु. 44,900/- से 1,42,400/-) के स्तर -7 में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक के रूप में काल्पनिक आधार पर नियुक्त किया गया।
2	पूजा गुप्ता	स्थापना आदेश संख्या 100/2018 दिनांक 23.07.2018 के माध्यम से दिनांक 23.07.2018 को निरीक्षक के रूप में कार्यभार	स्थापना आदेश संख्या 100 / 2018 दिनांक 23.07.2022 के अनुक्रम में दिनांक 09.12.2013 से 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स (Rs44,900 / - से 1,42,400 / -) के स्तर -7 में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद

		ग्रहण किए	शुल्क के निरीक्षक के रूप में काल्पनिक आधार पर नियुक्त किया गया। ●
3	दीपक	स्थापना आदेश संख्या 73/2018 दिनांक 22.07.2018 के माध्यम से दिनांक 22.05.2018 को निरीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किए	स्थापना आदेश संख्या 73 / 2018 दिनांक 22.05.2022 के अनुक्रम में दिनांक 29.11.2013 से 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स (Rs44,900 / - से 1,42,400 / -) के स्तर -7 में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक के रूप में काल्पनिक आधार पर नियुक्त किया गया।

2. अधिकारी काल्पनिक अवधि के दौरान वेतन का बकाया पाने के पात्र नहीं हैं ।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।



[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय कोच्चि ,
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ /,वेतन एवं लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), लेखा परीक्षा
4. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT

आदेश सं.: 152 /2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानान्तरण एवं तैनाती - संबन्धित।

आदेश संख्या 122/2024 दिनांक 30.05.2024 को जारी रखते हुए, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानान्तरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्र.सं.	नाम	जन्मतिथि	...से	... को
1.	आषिन एम	03.10.1995	सिस्टम्स अनुभाग, मु., को च्चि	डीजीएआरएम, तकनीकी अनुभाग, मु., कोच्चि का अतिरिक्त प्रभार के साथ सिस्टम्स अनुभाग

- उपरोक्त अधिकारी दिनांक 30.09.2024 तक डीजीएआरएम, तकनीकी अनुभाग से से संबद्ध किया गया है।
- यह आदेश आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति : 1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

- प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि

- अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

- हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/2/2024-ESTT

आदेश सं.: 151 / 2024

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां संबन्धित।

आदेश सं.114/2024 दिनांक 22.05.2024 एवं आदेश सं. 132/2024 दिनांक 14.06.2024 के आंशिक संशोधन में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	राधा विजयराघवन	25.03.1970	लेखा परीक्षा, मु. (केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि)	सीसीओ-सीपीसी
2.	सुजाता विजयन	09.11.1977	सीसीओ-सीपीसी	लेखा परीक्षा, मु. (केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि)

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।

4. किसी भी अधिकारी की ओर से नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

5. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 22.07.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

टो जो डेविस / TOJO DAVIS
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL EXCISE

॥ अनुप्रमाणित ॥

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (लेखा परीक्षा), कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, तिरुवनंतपुरम/
कोयिक्कोड/कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /
सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि के उप /सहायक
आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद
शुल्क, मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय
उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा,
कोच्चि
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

आदेश सं.: 150 / 2024

विषय : केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति-संबन्धित।


निम्नलिखित केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भत्ते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये(वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, गुपबी पद, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में तदर्थ और इन-सीटू आधार पर उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री / श्रीमती)	जन्म तिथि
1	पूजा गुप्ता	06.12.1985

2. चूंकि अधिकारी डीजीएचआरडी, नई दिल्ली में ऋण आधार पर काम कर रही है, वह मूल क्षेत्र में फिर से कार्यग्रहण करने के बाद ही अधीक्षक का प्रभार ग्रहण करेगी, और वह भी दिनांक 22.07.2024 के बाद नहीं।

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)


टोजो डेविस/TOJO DAVIS
अधीक्षक/SUPERINTENDENT
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL EXCISE

॥ अनुप्रमाणित ॥

[टी जी वेंकटेश]

आयुक्त

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
प्रति :

- अपर महानिदेशक, मानव संसाधन विकास महानिदेशालय, सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर, इकोण भवन, पश्चिम शाखा, भूतल, प्लाट नं सी -4, जिला सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम,
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिककोड
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय कोच्चि ,
- सीमा शुल्क निवारक आयुक्त कोचिन ,
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय कोच्चि ,
- अपर महा निदेशक, डीजीजीआई /डीआरआई, आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड/ कोच्चि

8. मुख्य लेखा अधिकारी वेतन एवं लेखा अधिकारी /,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि
9. प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), अधीक्षक (गोप./सत.),कोच्चि
10. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
11. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2022-ESTT

आदेश सं.: 149 / 2024

सीबीआईसी ने पत्र फाइल सं.ए.32022/110/2019-एडी IIIA दिनांक 10.01.2024 और फाइल सं.ए.32022/40/2023-AD.IIIA दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से श्री शहीद इदरीश और अन्य द्वारा दायर ओए संख्या 341/2022 में माननीय कैट आदेश दिनांक 07.02.2023 को स्वीकार कर लिया और एसएससी सीजीईएल 2011 और 2012 के अतिरिक्त परिणाम के आधार पर नियुक्त (लेकिन बाद में विभिन्न तिथियों में कार्यग्रहण किए) समान उम्मीदवारों को लाभ देने का निर्णय लिया | आदेश के अनुसार, आवेदकों को सीजीईएल 2011 और 2012 में उनके रैंक क्रम के अनुसार काल्पनिक वरिष्ठता अधिकार दिया जाएगा और परिणामी लाभ जिसमें काल्पनिक पदोन्नति और वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण शामिल हो सकता है। हालाँकि, उन्हें ऐसे वित्तीय लाभों के किसी भी बकाया पर कोई दावा नहीं होगा, क्योंकि यह लाभ काल्पनिक आधार पर दिया जाता है। उपर्युक्त बोर्ड के पत्रों के अनुसार, श्री संजीव कुमार, निरीक्षक के संबंध में वरिष्ठता को फाइल GEXCOM/II/(3)/4/2022-ESTT -O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI से जारी आदेश संख्या 43/2024 दिनांक 05.03.2024 के माध्यम से पुनः निर्धारित किया गया था।

2. इसलिए, स्थापना आदेश संख्या 76/2019 दिनांक 24.07.2019 के अनुक्रम में, श्री संजीव कुमार, निरीक्षक, जो दिनांक 23.07.2019 को निरीक्षक के रूप में कार्यग्रहण किए थे, 7 वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स (रु. 44,900 / - से 1,42,400 / -) के स्तर -7 में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक के रूप में काल्पनिक आधार पर, उनके तत्काल कनिष्ठ की नियुक्ति की तारीख, दिनांक 06.09.2024 से नियुक्त किया गया है | हालाँकि, अधिकारी काल्पनिक अवधि अर्थात् दिनांक 06.09.2012 से दिनांक 22.07.2019 तक के वेतन का बकाया पाने के लिए पात्र नहीं है।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय कोच्चि ,

2. मुख्य लेखा अधिकारी/ /,वेतन एवं लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), लेखा परीक्षा
4. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(39)/15/2022-ESTT

आदेश सं.: 148 /2024

विषय : श्री सुधीर, निरीक्षक, सीमाशुल्क निवारक आयुक्तालय के संबंध में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - संबन्धित ।

मौलिक नियम 56(के) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि श्री सुधीर (जन्म तिथि: 30.09.1970), निरीक्षक, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय को उनके दिनांक 10.06.2024 के अभ्यावेदन के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू सभी प्रासंगिक शर्तों के अधीन दिनांक 30.09.2024 से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

2. यह सूचित किया जाता है कि श्री सुधीर के संबंध में दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 30.09.2024 तक अर्जित अवकाश का अनुरोध, जो नोटिस अवधि के साथ-साथ लिया जाने वाला प्रारंभिक अवकाश है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है।

3. श्री सुधीर, निरीक्षक के संबंध में सभी बकाया राशि, यदि कोई हो, नियमों के अनुसार उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल की जा सकती है

[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त, इडुक्की मंडल - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय उसे प्र.अधिकारी (डी डी ओ) व सहकारी सोसाइटी से एन ओ सी लेना है ।
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. प्र.अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पालक्काड मंडल
4. अधीक्षक (गोप./सत.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड आयुक्तालय,कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
6. सचिव, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहकारी समिति,कोच्चि
7. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-Estt

दिनांक / Date : 10.07.2024

आदेश सं.: 147 / 2024

विषय : आशुलिपिक ग्रेड- I / ग्रेड- II की ग्रेडों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

आशुलिपिक ग्रेड- I/ ग्रेड II की ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	अमित कुमार, आशुलिपिक ग्रेड - I	15.09.2000	सीसीओ-सीसीए	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
2	ऐश्वर्या एस नायर, आशुलिपिक ग्रेड -II	03.01.1998	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	संयुक्त आयुक्त (सीसीओ) इकाई, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अतिरिक्त कार्यों के साथ अपर आयुक्त (का व सत) इकाई, मु., कोच्चि
3	सिद्धार्थ पी शिवा, आशुलिपिक ग्रेड -II	04.02.2001	सीसीओ-सीसीए	मुख्य आयुक्त इकाई, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

- उपरोक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 15.07.2024 तक किया जाना चाहिए और अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 19.07.2024 तक इस कार्यालय तक पहुंच जानी चाहिए
- यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में


सम्बंधित व्यक्तियों(सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ लेखा परीक्षा

प्रतिलिपि

- मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ लेखा परीक्षा
- अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
- वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT

दिनांक : 10.07.2024

आदेश सं.: 146 / 2024

विषय : हवलदार एवं एमटीएस के ग्रेडों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हवलदार और एमटीएस के ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	..को
1.	विनीता टी वी, हवलदार	01.03.1979	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	सीसीओ - सीसीए में ही रखा गया
2.	सवाई सिंह मीना, एमटीएस	30.06.1990	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, लेखा परीक्षा, कोच्चि	बकाया वसूली कक्ष, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
5. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
6. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि
7. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / कोच्चि

1. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी म /सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उप /सहायक आयुक्त, लेखा परीक्षा आयुक्तालय
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
5. अधीक्षक (सत.मु.) , केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
7. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(7)/2/2023-ESTT


दिनांक: 07.08.2024


स्थापना परिपत्र

सीजीएसटी, चंडीगढ़ क्षेत्र से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	GCCO/III/39/RPTS/3/2024-ET - O/o CC -CGST - ZONE - CHANDIGARH दिनांक 05.08.2024	सीजीएसटी एवं सीएक्स, चंडीगढ़ क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए रज़ामंदी।

उपरोक्त उल्लिखित पत्र की प्रति जानकारी के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट -www.cenexcisekochi.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। परिपत्र को आपके गठन के तहत काम करने वाले सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।


टोजो डेविज़/TOJO DAVIS
अधीक्षक/SUPERINTENDENT
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL EXCISE


[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का.व सत.]

॥ अनु प्रमाणित ॥

- केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप /सहायक आयुक्त,
एर्णाकुलम/काक्कनाड/आलुवा/पेरुम्बावूर/ इडुक्की/ चालक्कुडी / त्रिशूर मंडल / मु.,कोच्चि
आयुक्तालय
- अधीक्षक (सिस्टम्स), मुख्यालय, कोच्चि [वेबसाइट में अपलोड करने हेतु]
- सूचना पट्ट, मुख्यालय, कोच्चि
प्रति
सहायक आयुक्त (सीसीओ), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,
तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - जानकारी हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(7)/2/2023-Estt.

Date: 08.08.2024

स्थापना परिपत्र/ ESTABLISHMENT CIRCULAR

सीजीएसटी एवं सीएक्स, रांची क्षेत्र से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है/ Attention is invited to the following letter received from the CGST & CX, Ranchi Zone:

क्र.सं./ Sl. No.	पत्र क्रमांक एवं दिनांक/ Letter No. and date	विषय/ Subject
1.	GCCO/II/3/TRAN/35/2020-ESTT-1- O/o CC-CGST-ZONE-RANCHI dated 06.08.2024	सीजीएसटी और सीएक्स, रांची क्षेत्र, पटना में प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'बी' (राजपत्रित) के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरना / Filling up of the posts of Administrative Officer, Group 'B' (Gazetted) in CGST & CX, Ranchi Zone, Patna on deputation basis

उपरोक्त उल्लिखित पत्र की प्रति जानकारी के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट-
www.cenexcisekochi.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। परिपत्र को आपके गठन के

तहत काम करने वाले सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।/ Copy of the above mentioned letter may be downloaded from the website of Kochi Commissionerate- www.cenexcisekochi.gov.in for information. The circular may be brought to the notice of all the officers working under your formation.

Signed by

Bindu C T

Date: 08-08-2024 11:15:23

[सी. टी. बिंदु /C. T. Bindu]

उपायुक्त (क. एवं सत्त.)/
Deputy Commissioner (P&V)

To

1. उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एर्नाकुलम/ कक्कानाड/ अलुवा/ चालाकुडी/ त्रिशूर/ पेरुंबवूर/ इडुक्की मंडल, कोच्चि। / The Deputy/ Assistant Commissioner, Central Tax and Central Excise, Ernakulam/ Kakkanad/ Aluva/ Chalakudy/ Thrissur/ Perumbavoor/ Idukki Divisions, Kochi.

2. अधीक्षक (प्रणाली), केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि। वेबसाइट में अपलोड करने हेतु / The Superintendent (Systems) of Central Tax and Central Excise, Hqrs, Kochi. for uploading in website

3. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय कोच्चि।/ Notice Board, Hqrs Kochi.

प्रतिलिपि/ Copy to:

संयुक्त आयुक्त (सीसीओ), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र। जानकारी के लिए / The Joint Commissioner (CCO), Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone. for information

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018
E-mail: cexcochinvigilance@rediffmail.com Phone: 0484-2390404

GEXCOM/VIG/MISC/295/2021-VIG

दिनांक Date: .07.2024

सतर्कता परिपत्र सं.03/2024 / VIGILANCE CIRCULAR NO. 03/2024

विषय :- एबीएएस प्रणाली में उपस्थिति का अंकन - सम्बंधित ।

Sub:- Marking of attendance in AEBAS System- Reg.

सरकारी कर्मचारियों द्वारा समय की पाबंदी का पालन करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 15 जून 2024 के फाइल सं.11013/13/2023 के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं कि सभी कर्मचारियों को बिना किसी चूक के एईबीएएस में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए (प्रति संलग्न)। अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ अधिकारी एईबीएएस सिस्टम में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं।

Instructions have been issued from time to time for observing punctuality by the Government employees. In this regard, DoPT vide F.No.11013/13/2023 dated 15th June 2024 has issued instructions that all employees should mark their attendance in AEBAS without fail (Copy enclosed). It has come to the notice of the undersigned that certain Officers are not marking their attendance in AEBAS systems.

कड़ाई से अनुपालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं:

The following Guidelines are issued for strict compliance:

1. बिना किसी अपवाद के सभी अधिकारियों को एईबीएएस मशीन में आगमन और प्रस्थान समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता होगी।

All Officers without any exception will be required to mark their attendance at arrival and at departure time in the AEBAS machine.

2. इस कार्यालय जापन संख्या II/39/29/2015 Vig Cx Chn दिनांक 25.06.2015 में निर्धारित कार्यालय समय का ईमानदारी से पालन किया जा सकता है। प्रत्येक अधिकारी को सप्ताह में पांच दिन के लिए कम से कम 40 घंटे का कार्य समय देना होता है। मौजूदा निर्देशों के अनुसार कार्यालय समय 0900 बजे से 1730 बजे तक दोपहर के भोजन के अंतराल के साथ 1300 बजे से 1330 बजे तक है।

The office timings as prescribed in this office Memorandum C.No.II/39/29/2015 Vig Cx Chn dated 25.06.2015 may be scrupulously followed. Each official has to put in at least 40 hours of work time for the full 5 days a week. As per the extant instructions the Office hours are from 0900 hrs to 1730 hrs with lunch interval from 1300 hrs to 1330 hrs.

3. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार (जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.07.1975 के कार्यालय जापन संख्या 28034/8/75-स्था.ए; दिनांक 27.08.1975 के कार्यालय जापन संख्या 28034/10/75/स्था.ए; दिनांक 05.03.1982 के कार्यालय जापन संख्या 28034/3/82-स्था.ए में निहित है) प्रत्येक दिन की देरी से उपस्थिति के लिए आधे दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाना चाहिए, लेकिन एक घंटे तक की देरी से उपस्थिति, एक महीने में दो बार से अधिक नहीं, और उचित कारणों के लिए सहायक/उपायुक्तों द्वारा माफ की जा सकती है। आदतन देर से आने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आधे दिन का आकस्मिक अवकाश काटने के अतिरिक्त, नियंत्रण अधिकारी द्वारा उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। जल्दी चले जाने को भी देर से आने के समान ही माना जाना चाहिए।

As per extant instructions, (as contained in DoPT O.M. No. 28034/8/75- Estt.A dated 04.07.1975; No. 28034/10/75/Estt.-A dated 27.08.1975; No. 28034/3/82-Estt.-A dated 05.03.1982) half-a-day's Casual Leave should be debited for each day of late attendance, but late attendance up to an hour, on not more than two occasions in a month, and for justifiable reasons may be condoned by the Assistant/Deputy Commissioners. Suitable disciplinary action may be initiated by the Controlling Officer, in addition to debiting half-a-day's Casual Leave against Government servants who are habitually late. Early leaving is also to be treated in the same manner as late coming.

4. यह भी देखा गया है कि कुछ अधिकारी लंच करने के लिए अनुमत समय से अधिक उपयोग कर रहे हैं, कैंटीन में समय व्यर्थ कर रहे हैं और उपस्थिति दर्ज करने के बाद कार्यालय छोड़ रहे हैं। सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीन काम करने वाले अधिकारी उपस्थिति दर्ज करने के बाद कार्यालय से बाहर न निकलें और ऐसी अनुपस्थिति से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

It is also observed that some Officers are utilizing more than the permitted time for taking lunch, idling time in canteen and also leaving office after marking attendance. All Supervisory Officers should ensure that the Officers working under them do not leave office after marking attendance and such absenteeism should be dealt with strictly.

5. प्रभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एईबीएस मशीनें उचित ढंग से स्थापित हों तथा अच्छी कार्यशील स्थिति में हों। जिन कार्यालयों में कुछ दिनों में उपकरण ठीक से काम नहीं करते हैं, वहां अधिकारियों को नीचे दिए गए प्रारूप में एक रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है।

The Divisional Officers should ensure that the AEBAS machines are properly installed and is in good working condition. In offices where the devices may not function properly on some days, the officers are required to maintain a register in the format as detailed below.

क्रम सं./ Sl. No.	दिनांक Date	अधिकारी का नाम व पदनाम / Name of the Officer & Designation	समय शुरू Time In	समय समाप्त Time Out	हस्ताक्षर Signature	पर्यवेक्षी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर Countersign by the Supervisory Officer

6. सभी अवकाश आवेदनों को सतर्कता परिपत्र संख्या 01/2023 दिनांक 10.01.2023 में दिए गए निर्देशों के अनुसार निपटाया जाना आवश्यक है। सभी छुट्टियों को भी बीएस में अग्रिम रूप से दर्ज करना आवश्यक है और ऐसे मामलों में जहां ऐसा नहीं किया जाता है, उन्हें अनधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा।

All leave applications are required to be dealt with as per the directions in Vigilance Circular No. 01/2023 dated 10.01.2023. All leave are also required

to be entered in advance in the BAS and in cases where it is not done the same will be treated as unauthorised absence.

7. जहां किसी अधिकारी को किसी आधिकारिक कार्य जैसे तलाशी/दौरा/प्रशिक्षण के लिए सीधे घर से दूसरे कार्यालय में जाना हो, या देर दोपहर में जाना हो, जहां से उसके कार्यालय लौटने की संभावना न हो, तो इस आशय की सूचना उसके पर्यवेक्षी अधिकारी को पहले ही दे दी जाएगी। इसके अलावा, ईबीएस में आवश्यक यात्रा अनुमति भी मांगी जा सकती है और उसे स्वीकृत भी किया जा सकता है। यदि किसी अधिकारी को किसी अन्य सरकारी कार्यालय में उपस्थित होना है तो ऐसे अधिकारी को सुबह या शाम, जैसी भी स्थिति हो, उस कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए।


Where an officer is required to go for an official duty such as search/Tour/Training in another office directly from home, or proceed in the late afternoon from where he/she is not likely to return to office, an intimation to this effect will be furnished in advance to his/her Supervisory Officer. And also necessary Tour permission may be sought for and sanctioned in AEBAS. In case an officer is to attend some other Government office then such officer should mark his/her attendance in that office in the morning or evening as the case may be.


8. यह सुनिश्चित करना रिपोर्टिंग अधिकारी का कर्तव्य है कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को उनके अधीन ठीक से मैप किया गया है और सिस्टम में उनकी उपस्थिति को ठीक से चिह्नित कर रहे हैं। यदि अधिकारी उपस्थिति को चिह्नित नहीं कर रहे हैं या बीएस में छुट्टी के बिना अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो रिपोर्टिंग / नियंत्रण अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। किसी अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/कार्यमुक्त होने पर या रिपोर्टिंग अधिकारी में परिवर्तन होने पर तत्काल अधीक्षक (सिस्टम) को रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए, ताकि सभी अधिकारियों को उचित रूप से मैप इन/मैप आउट किया जा सके।

It is the duty of the reporting officer to ensure that all the subordinate officers are properly mapped under them and are marking their attendance in the System properly. If the officers are not marking attendance or found absent without leave in the BAS, the reporting/controlling officer will be held responsible. A report must be sent to the Superintendent (Systems) immediately on joining/relief of an officer or when there is a change in the reporting officer so that all officers can be properly mapped in / mapped out.

9. सभी सहायक/उपायुक्तों को यह जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि उनके अधीन काम करने वाले सभी अधिकारियों की उपस्थिति सही ढंग से दर्ज है या नहीं, उनकी उपस्थिति का सत्यापन करें तथा यह भी जांचें कि क्या उनमें की गई प्रविष्टियां इस परिपत्र में उल्लिखित बिंदुओं के अनुरूप हैं।

All Assistant/Deputy Commissioners are directed to check whether all officers working under them are properly mapped, verify their attendance and check whether the entries made therein are in compliance with the points mentioned in this Circular.


बिजू जॉर्ज पी
Biju George P
अधीक्षक (सि.त)
Superintendent (Mg)
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
Central Tax & Central Excise
कोच्चि-18/Kochi-18


(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में / To

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
Central Tax & Central Excise
कोच्चि-18/Kochi-18

॥ अनु प्रमाणित ॥

1. सभी अपर आयुक्त /संयुक्त आयुक्त, मु., कोच्चि

All Additional Commissioner/ Joint Commissioner in Hqrs., Kochi

2. सीसीओ में कार्यरत संयुक्त आयुक्त / सहायक आयुक्त

Joint Commissioner/ Assistant Commissioner in CCO

3. उप /सहायक आयुक्त, मुख्यालय, कोच्चि

The Assistant Commissioner, Hqrs. Office, Kochi

[Prev.-PRO-Prosecution-Arrear Cell/Admn.-P&V-Sevottam/Tech-Stat-Review/Adjn.-EDP-GST Cell/Legal-RTI-Training/Audit]

4. उप /सहायक आयुक्त,

एर्णाकुलम /काक्कनाड/ आलुवा/ पेरुम्बावूर/ त्रिशूर/ इडुक्की/ चालक्कुडी मंडल

The Deputy/Assistant Commissioner, Kakkanad /Idukki / Aluva/

Thrissur/ Perumbavoor / Ernakulam/ Chalakkudy Division

5. मुख्य लेखा अधिकारी, मु., कोच्चि

The Chief Accounts Officer, Hqrs. Office, Kochi

6. सभी अनुभाग प्रमुख , मु., कोच्चि/ सीसीओ

All Section Heads, Hqrs. Office, Kochi / CCO

7. अधीक्षक (सिस्टम्स)- परिपत्र को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

The Superintendent (Systems) for uploading the Circular in the official website

प्रतिलिपि प्रस्तुत है/Copy submitted to:

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise & Customs,
Thiruvananthapuram Zone.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि - 682 018 C.R.BUILDING, I.S.PRESS ROAD, KOCHI - 682 018
E-mail:- cgstprokochi@gmail.com Phone:- 0484-2390404

परिपत्र/CIRCULAR

विषय:- 78 वां स्वतंत्रता दिवस समारोह - 2024 - संबंधित

Sub:- 78th Independence Day Celebrations - 2024 – reg.

केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि के कार्यालय परिसर में 15 वां अगस्त, 2024 (मंगलवार) को केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर विभागों द्वारा संयुक्त रूप में 78 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। श्रीमती प्रीति गर्ग, भा रा से, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल, कोच्चि सुबह 9.15 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

The 78th Independence Day will be jointly celebrated on 15th August 2024 (Thursday), by the Central Tax & Central Excise and Income Tax Departments at the premises of the Central Revenue Building, I.S.Press Road, Kochi. Smt.Preeti Garg, I.R.S., Principal Chief Commissioner of Income Tax, Kochi, Kerala will hoist the National Flag at 0915 hours.

मुख्यालय कार्यालय, मुख्य आयुक्त कार्यालय, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, अपील आयुक्तालय, एर्नाकुलम/कक्कानाड डिवीजनों और एर्नाकुलम/कोच्चि में स्थित रेंज कार्यालयों में तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी बिना किसी देरी के इस अवसर पर उपस्थित रहें। सभी वर्दीधारी अधिकारी उचित वर्दी में 0730 बजे उपस्थित हों।

All officers and staff posted at Central Tax & Central Excise Headquarters office, Chief Commissioner's Office, Appeals Commissionerate, Audit Commissionerate, Audit Circle-IV & V, & Ernakulam/Kakkanad Divisions, should be present on the occasion without fail. All uniformed officers should be present in proper uniform at 0730 hours.

कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक श्री राम मोहन मीणा परेड कमांडर होंगे।
Shri.Ram Mohan Meena, Inspector, CCO-CCA will be the Parade Commander.

Signed by
Venkatesh Teklur Govindaswamy
Date: 09-08-2024 11:47:41

(टी.जी.वेंकटेश)
(T.G.Venkatesh)
आयुक्त/Commissioner

Copy to:-

1. The Principal Chief Commissioner of Income Tax, Kerala, Kochi.
2. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, Kochi.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.
5. The Additional Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Additional Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.
7. The Joint Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/Chief Commissioner's Office, Kochi/Appeals.
8. The Deputy/Assistant Commissioners, Chief Commissioner's Office/Central Tax & Central Excise Headquarters Office, Kochi/Appeals Commissionerate/Audit Commissionerate/Ernakulam & Kakkanad Divisions/Audit Circle-IV & V
9. CAO/PAO/AD (OL)/Administrative Officer (Hqrs.), Central Tax & Central Excise, Kochi
10. Sr.P.S. to Chief Commissioner
11. P.S. to Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi
12. P.S. to Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi (Audit)
13. P.S. to Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi (Appeals)
14. The Section Heads in Central Tax & Central Excise Headquarters Office, Kochi
15. The Superintendent (PRO)/Caretaker.
16. The Income Tax Officer (PRO), Income Tax, Kochi.
17. The Assistant Engineer (E), Kochi Central Electrical Sub Division-II, CPWD, C.R.Building, I.S.Press Road, Kochi - 682 018 for making necessary arrangements.
18. Notice Board/Control Room.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt

Date: 03.09.2024

ORDER NO. 169/2024

Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

Consequent on issue of Office Order No.26/2024 (DGHRD/AC-DC/271/2024) dated 22.08.2024 by the Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone, the following work allocation/link officers among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered:

Sl. No.	Name of Officer (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	1 st Link	2 nd Link
1.	Maya Kurian	P&V, Administration, Accounts & Systems	Sarath Chandran M.	Shanthi V.
2.	R. Shyju	Adjudication & DGARM	Raja Tomy	Sarath Chandran M.
3.	Ranjit Santakumar	Review, Infrastructure, Welfare, Sports & Headquarters	Subha Chandran	Raja Tomy
4.	Subha Chandran	Audit & Tax Arrear Recovery	R. Shyju	Ranjit Santakumar
5.	Sarath Chandran	Anti Evasion, Prosecution, Verification Cell, Technical,	Maya Kurian	Subha

Done
06/09/2024

	M.	Parliament Questions & Statistics		Chandran
6.	Raja Tomy	CRU, OLIC, RTI (CPIO) & Training.	Shanthi V.	R. Shyju
7.	Shanthi V.	Legal	Ranjit Santakumar	Maya Kurian
8.	Maya Chandran	Aluva Division	Beena Vas S.	Ramaswamy S.
9.	Sudarshan Nanasahab Sonawane	Ernakulam Division	Ramaswamy S.	Marykutty Chacko
10.	Ramaswamy S.	Kakkanad Division	Marykutty Chacko	Sudarshan Nanasahab Sonawane
11.	Beena Vas S.	Chalaky Division	Sasidharan	Michael T.H.
12.	Sasidharan	Thrissur Division	Maya Chandran	Beena Vas S.
13.	Marykutty Chacko	Perumbavoor Division	Michael T.H.	Sasidharan
14.	Michael T.H.	Idukki Division	Marykutty Chacko	Ramaswamy S.

2. This is issued with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

3. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 03-09-2024 17:41:14

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central**

Excise, Kochi Commissionerate.

3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi - for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

ORDER No.168 /2024

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

Consequent to issue of Order No.166/2024 dated 23.08.2024, the following transfer & posting in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name(S/ Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	Mohan Joseph	25-05-1968	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Audit Section, Hqrs Kochi

2. Controlling officer shall ensure that the officer is relieved from his previous post only after proper relieving/handing over note is mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

3. No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. The controlling officer is to report compliance by 06.09.2024.

Signed by Venkatesh T G
Date: 28-08-2024 17:39:55

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

Done
30/08/2024

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-Estt

Date: 23.08.2024

ORDER NO. 167/2024

**Sub: Transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-I
- Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram
Zone - Reg.**

The following transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-I is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Amit Kumar	15.09.2000	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate

- The above order should be complied with latest by 04.09.2024 and the compliance report should reach this office by 09.09.2024.
- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 23-08-2024 17:34:32

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

The individual (Through the supervisory officer concerned)

done
30/08/2024
To

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Audit/Kozhikode.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Audit/Kozhikode.**
2. **The Superintendent (Systems/Vig.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

ORDER No. 166 /2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name(S/ Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	P.O.Antony	05-04-1967	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	CCO-CPC
2	Mohan Joseph	25-05-1968	CCO-CPC	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. The controlling officers are to report compliance by 30.08.2024.

done
30/08/2024

Signed by Venkatesh T G

Date: 23-08-2024 17:29:52

**[P-G VENKATESH]
COMMISSIONER**

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
3. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/Custom Preventive.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/CCP.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/5/2021-ESTT

ESTABLISHMENT ORDER NO. 165/2024

Sub: Confirmation in the grade of Inspector – Reg.

In accordance with the instructions in O.M No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 issued by the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India the following officers of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are confirmed in the grade of Inspector with effect from the date shown against their names.

Sl. No.	Name S/ Shri./ Smt.	Date of Birth	Date of Confirmation
1	Balagovind Rajeev	01.04.1989	21.03.2023
2	Kamal Krishnan R	12.03.1992	21.03.2023
3	Parsen Kumar	10.03.1990	31.07.2023
4	Anandhu Nanoo Udayanan	11.04.1990	21.03.2023
5	Jazeel M C	09-10-1994	18.11.2023
6	Rani Maria John	08-06-1990	23.11.2023
7	Ashin M	03-10-1995	18.11.2023
8	Sanjay Pradeep	10-03-1996	01.12.2023
9	Harikrishnan	25-01-1992	25.11.2023
10	Sreedeeep Menon V P	02-05-1993	22.11.2023
11	Kiran S	05-02-1993	18.11.2023
12	Mathews George C	18-01-1994	18.11.2023

done
30/08/2024

13	Athul M Das	06-08-1994	01.12.2023
14	Prasanth Kumar G	28-05-1993	18.11.2023
15	Jithin Jose	19-11-1993	18.11.2023
16	Rahul Sankar	20-03-1995	18.11.2023
17	Shalmon Abraham	13-08-1993	18.11.2023
18	Sujin K	29-11-1992	18.11.2023
19	Abhijith S	19-02-1993	22.11.2023
20	Prajith	04-07-1995	06.12.2023
21	Vishnu Asokan	27-06-1993	30.12.2023
22	Visakh S	29-08-1990	01.12.2023
23	Vemu Naveen Nischal	21-08-1989	06.12.2023
24	Hari Singh Meena	04-08-1997	29.12.2023
25	Narendra Singh Meena	04-04-1993	17.12.2023
26	Sajith Mohan	20-06-1993	18.11.2023
27	Pardeep Kumar	20.03.1991	29.04.2024

2. Necessary entries may be made in the Service Book of the individuals.
3. This is issued with the approval of the Commissioner.
4. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 21-08-2024 18:48:35

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To
The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax , Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise,**

- Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Appeals/ Audit (Kochi).**
2. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
 3. **The Deputy/ Assistant Commissioners in charge of All Divisions, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
 4. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
 5. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
 6. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
 7. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT.

ORDER No. 164/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name Shri./Smt./Ms.	D.O.B	Formation	To
1	ABHISHEK KUMAR	16.10.1995	CGLE 2023- New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
2	MARRI DHRUWA TEJ	01.03.1998	CGLE 2023- New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
3	JAISON PETER	17.05.1994	CGLE 2023- New Recruit	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

- 06/09/2024
2. The officers are to join their new place of posting immediately.
 3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone
5. The controlling officers are to report compliance by **23.08.2024**.

Signed by Venkatesh T G
Date: 23-08-2024 16:47:07

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
3. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs Preventive Commissionerate.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/ Customs Preventive Commissionerate.**
6. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram/Customs Preventive Commissionerate.**
7. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
8. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT

ORDER No. 163/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name(S/ Shri./ Smt.)	Designation	DOB	From	To
1	Jaydeep C	Inspector	17.02.1975	Adjudication Section, Headquarters, Kochi	Range IV, Ernakulam Division
2	Ashin M	Inspector	03.10.1995	Systems Section, Headquarters, Kochi	Adjudication Section, Headquarters, Kochi

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed

done
of.
06/09/2024

4. The controlling officers are to report compliance by 19.08.2024.

Signed by Venkatesh T G
Date: 14-08-2024 14:51:58

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT.

Date: 13.08.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 162/2024
(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90741)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. JAISON PETER**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under UR category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from 08.08.2024 (F.N).

2. **SHRI. JAISON PETER**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant DoPT O.M.s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **SHRI. JAISON PETER** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done
06/09/2024
14/10/2024

4. The appointment would be subject to the outcome of LPA No.202/2024 filed by Shubham Pal & Ors before the Hon'ble High Court of Delhi against the verdict pronounced in the Writ Petition (C) No. 16593/2023 by the Single Bench of the Hon'ble Court.

5. Hindi version follows.


[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. JAISON PETER,
PARAYIL KUDIYIRIPPIL HOUSE,
KADUKUTTY P O, THRISSUR,
KERALA - 680309

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode/ Thiruvananthapuram.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT.

Date: 13.08.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 161/2024
(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90695)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. MARRI DHRUWA TEJ**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.III.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **05.08.2024 (A.N)**.

2. **SHRI. MARRI DHRUWA TEJ** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant *DoPT O.M.s* in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. MARRI DHRUWA TEJ** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done
14/10/2024

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment would be subject to the outcome of LPA No.202/2024 filed by Shubham Pal & Ors before the Hon'ble High Court of Delhi against the verdict pronounced in the Writ Petition (C) No. 16593/2023 by the Single Bench of the Hon'ble Court.

6. Hindi version follows.


[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. MARRI DHRUWA TEJ
HNO 35 6 524, VIVEK NAGAR COLONY,
GOPALPUR, HANAMKONDA, WARANGAL,
DIST- HANAMKONDA , TELANGANA , 506001

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode/ Thiruvananthapuram.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESIT.

Date: 13.08.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 160/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90687)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. ABHISHEK KUMAR**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.III.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **05.08.2024 (A.N)**.

2. **SHRI. ABHISHEK KUMAR** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. ABHISHEK KUMAR** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and

done
14/10/2024

if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment would be subject to the outcome of LPA No.202/2024 filed by Shubham Pal & Ors before the Hon'ble High Court of Delhi against the verdict pronounced in the Writ Petition (C) No. 16593/2023 by the Single Bench of the Hon'ble Court.

6. Hindi version follows.


[T.G. VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. ABHISHEK KUMAR
VILL- MANGURAHA , PS- GOVINDGANJ,
DIS- EAST CHAMPARAN ,
BIHAR , PIN- 845458

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudeco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt

Date: 06.08.2024

ORDER NO. 159/2024

**Sub: Transfer and posting in the grade of Tax Assistant –
Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate
- Reg.**

The following transfer and posting in the grade of Tax Assistant is hereby ordered:

Sl. No	Name (S/Kum.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Vyshnavi E.K.	09.04.1999	Establishment Section, Hqrs Kochi	Accounts (Paybill) Section, Hqrs Kochi

2. This is issued with the approval of the competent authority.
3. Hindi version follows.

Signed by

Bindu C T

Date: 06-08-2024 12:58:47

[C.T. Bindu]

Deputy Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

Copy to:

down
14/10/2022

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Systems/Vig.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

ORDER No. 158 /2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

Consequent to issue of Order No.157/2024 dated 01.08.2024, the following transfer & posting in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name(S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	K.M. Binu	06-11-1978	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	PRO Section, Hqrs Kochi

2. Controlling officer shall ensure that the officer is relieved from their previous post only after proper relieving/handing over note is mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

3. No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. The controlling officers are to report compliance by 14.08.2024 .

Signed by Venkatesh T G
Date: 05-08-2024 17:43:15

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

Done
15/8/2024

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

- 1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 2. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 3. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi**
- 4. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi**
- 5. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
- 6. Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

ORDER No. 157/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent & Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent and Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect

Sl No	Name(S/ Shri./Smt.)	Designation	DOB	From	To
1	K.M. Binu	Superintendent	06.11.1978	CCO-CPC	Central Tax & Central Excise Commissionerate Kochi
2	Mohan Joseph	Superintendent	25.05.1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate Kochi	CCO-CPC
3	Chingtam Nandakumar Singh	Inspector	02.04.1983	Repatriated from CGST Guwahati Zone (IZT-Cancelled)	Central Tax & Central Excise Audit Commissionerate Kochi
4	Mallajeet Sonowal	Inspector	26.12.1983	Repatriated from CGST Guwahati Zone (IZT-Cancelled)	Central Tax & Central Excise Commissionerate Kozhikode

15/10/2024

2. The Transfer Order No.151/2024 dated 15.07.24 in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone in GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT is hereby suspended with immediate effect until further orders.

3. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

5. The controlling officers are to report compliance by 08.08.2024.

Signed by Venkatesh T G

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

Date: 01-08-2024 12:29:36

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt

Date: 01.08.2024

ORDER NO. 156/2024

Sub: Transfer and postings in the grades of Tax Assistant/Lower Division Clerk – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and postings in the grades of Tax Assistant/Lower Division Clerk are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Naveen Kumar T.S., TA	31.05.1968	On promotion	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
2.	Rahul T. Raj, LDC	09.08.1986	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi

2. The above order should be complied with latest by 02.08.2024 and the compliance reports should reach this office by 09.08.2024.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

4. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 01-08-2024 12:38:38

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

done
15/10/2024

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Kozhikode/Appeals.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Kozhikode/Appeals.**
2. **The Superintendent (Systems/Vig.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/31/2020-Estt.

Date: 26.07.2024

ORDER No. 155/2024

Sub: Promotion to the grade of Assistant Sub-Inspector (Weapons) - Reg.

The following Head Havaldar is hereby promoted as Assistant Sub-Inspector (Weapons), Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial level-3 (Rs.21,700-69,100) plus allowance as may be sanctioned by the Government of India from time to time, with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	Present Commissionerate
1.	Mukesh P.	11.03.1967	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

2. The Officer should join the promoted post on latest by **09.08.2024**, failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. The Officer will have to exercise option for pay fixation in terms of Department of Personnel & Training O.M. dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officer/officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by 13.08.2024.

Signed by

Rani C R

(Rani C.R.)

Additional Commissioner (P & V)

Date: 25-07-2024 16:38:14

dove
15/10/2024

To

The Individual (Through the supervisory officer concerned).

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals Kochi.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, CCP.**
2. **The Superintendent (Vig.), Central Tax & Central Excise, Kochi/ CCP.**
3. **The Superintendent (System), Central Tax & Central Excise, Kochi - for uploading in website.**
4. **Official Language Section - for Hindi Version.**
5. **The Secretary, Kerala Central Excise Group 'C' Officers Association, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

II/(3)/APPT/25/2020-ESTT

ORDER No. 154/2024

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby promoted on ad-hoc and in-situ basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl. No.	Name(S/Shri/Smt)	Date of Birth
1.	Ved Prakash (HH)	05.12.1991

2. The officer mentioned above should join the higher post on or after **26.07.2024** and not later than **08.08.2024**.

3. Hindi version follows.

Signed by Venkatesh T G
Date: 25-07-2024 17:56:25

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To: **The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

done
16/15/10/2024

Copies to:

1. **The Additional Director General, Directorate General of Human Resource Development Customs and Indirect taxes, IRCON building, WestWing, GroundFloor, Plot No. C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
6. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
7. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
8. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
9. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
10. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
11. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2022-ESTT

Date: 23 .07.2024

ORDER No. 153/2024

CBIC vide letters F.No.A.32022/110/2019-Ad. IIIA dated 10.1.2024 and F.No.A.32022/40/2023-Ad.IIIA dated 13.02.2024 conveyed acceptance of Hon'ble CAT Order dated 07.02.2023 in O A No.341/2022 filed by Shri Shahid Idrisha & Ors and decided to extend the benefit to similar candidates appointed on basis of additional result of SSC CGLE 2011 and 2012 (but joined later on different dates). As per the Order, the applicants would be entitled to notional seniority as per their rank order in CGLE 2011 & 2012 and the consequential benefits which could include notional promotion and re-fixation of pay and allowances. However, they will not have any claim to any arrears of such financial benefits, as the award of the same is on a notional basis. As per the above mentioned Board's letters, seniority in respect of the below mentioned Officers was re-fixed vide Order No. 43/2024 dated 05.03.2024 issued from file GEXCOM/II/(3)/4/2022-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI.

2. Hence, the below mentioned Officers have been appointed on notional basis with effect from date of joining of their immediate Junior as below:

Sl. No.	Name(Smt/Shri)	Intial Appointment Details	Details of Notional Appointment
1	Pardeep Kumar	Joined as Inspector on 29.04.2022 vide Establishment Order No. 48/2022 dated 10.05.2022	Appointed on notional basis as Inspector of Central Tax and Central Excise in the Level-7 of 7th CPC pay matrix (Rs44,900/- to 1,42,400/-) with effect from 12.12.2013 in continuation to Establishment Order No. 48/2022 dated 10.05.2022
2	Pooja Gupta	Joined as Inspector on 23.07.2018 vide Establishment Order No. 100/2018 dated 23.07.2018	Appointed on notional basis as Inspector of Central Tax and Central Excise in the Level-7 of 7th CPC pay matrix (Rs44,900/- to 1,42,400/-) with effect from 09.12.2013 in continuation to Establishment Order

done
16/10/2024

			No.100/2018 dated 23.07.2018
3	Deepak	Joined as Inspector on 22.05.2018 vide Establishment Order No. 73/2018 dated 22.05.2018	Appointed on notional basis as Inspector of Central Tax and Central Excise in the Level-7 of 7th CPC pay matrix (Rs44,900/- to 1,42,400/-) with effect from 29.11.2013 in continuation to Establishment Order No. 73/2018 dated 22.05.2018

3. The officers are not eligible to draw arrears of pay during the notional period.
4. This is issued with the approval of the competent authority.

Signed by
Rani C R
Date: 23-07-2024 17:38:57
(Rani C R)
Additional Commissioner (P&V)

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Audit, Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Audit.**
4. **Official Language Section – for Hindi Version**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT.

ORDER No. 152/2024

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

In continuation to Order No. 122/2024 dated 30.05.2024, the following transfer & posting in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name	D.O.B	From	To
1.	ASHIN M	03.10.1995	Systems Section, Hqrs Kochi	Systems Section with additional charge of DGARM, Technical Section, Hqrs Kochi

- The above mentioned officer is attached to DGARM, Technical Section till 30.09.2024.
- This is issued with the approval of Commissioner

Signed by
Rani C R
Date: 15-07-2024 10:06:14

[Rani C R]
Additional Commissioner

done
16/10/2024

To:

The Individual (Through the Controlling Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi**
3. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

ORDER No. 151/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

In partial modification of Order No.114/2024 dated 22.5.24 and Order No.132/2024 dated 14.6.24, the following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name(S/Smt.)	DOB	From	To
1	RADHA VIJAYARAGHAVAN	25-03-1970	Audit Section, Hqrs (Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi)	CCO-CPC
2	SUJATHA VIJAYAN	09-11-1977	CCO-CPC	Audit Section, Hqrs (Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi)

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

[Handwritten Signature]
07/09/2024

4. The controlling officers are to report compliance by 22.07.2024 .

Signed by
Venkatesh Teklur Govindaswamy [T G VENKATESH]
Date: 15-07-2024 15:00:12 COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

ORDER No. 150/2024

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby promoted on ad-hoc and in-situ basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl. No.	Name(S/Shri/Smt)	Date of Birth
1.	Pooja Gupta	06.12.1985

2. As the Officer is working on loan basis in DGHRD, New Delhi, she shall assume the charge of Superintendent only after re-joining in the parent Zone, and not later than 22.07.2024.

3. Hindi version follows.

Signed by Venkatesh T G

Date: 14-07-2024 11:13:11

**[T G VENKATESH]
COMMISSIONER**

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs,
Thiruvananthapuram Zone.**

dove
17/10/2024

Copy to:

1. **The Additional Director General, Directorate General of Human Resource Development Customs and Indirect taxes, IRCON building, WestWing, GroundFloor, Plot No. C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
6. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
7. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
8. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
9. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
10. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
11. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2022-ESTT

ORDER No. 149 /2024

CBIC vide letters F.No.A.32022/110/2019-Ad.IIIA dated 10.1.2024 and F.No.A.32022/40/2023-Ad.IIIA dated 13.02.2024 conveyed acceptance of Hon'ble CAT Order dated 07.02.2023 in OA No.341/2022 filed by Shri Shahid Idrisha & Ors and decided to extend the benefit to similar candidates appointed on the basis of additional result of SSC CGLE 2011 and 2012 (but joined later on different dates). As per the Order, the applicants would be entitled to notional seniority as per their rank order in CGLE 2011 & 2012 and the consequential benefits which could include notional promotion and re-fixation of pay and allowances. However, they will not have any claim to any arrears of such financial benefits, as the award of the same is on a notional basis. As per the above mentioned Board's letters, seniority in r/o Shri Sanjeev Kumar, Inspector, was re-fixed vide Order No. 43/2024 dated 05.03.2024 issued from file GEXCOM/II/(3)/4/2022-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI.

Hence, in continuation to Establishment Order No. 76/2019 dated 24.07.2019 Shri Sanjeev Kumar, Inspector who joined as Inspector on **23.07.2019**, has been appointed on notional basis as Inspector of Central Tax and Central Excise in the Level-7 of 7th CPC pay matrix (Rs44,900/- to 1,42,400/-) with effect from **06.09.2012**, the date of joining of his immediate junior. However, the officer is not eligible to draw arrears of pay during the notional period, ie. from 06.09.2012 to 22.07.2019.

This is issued with the approval of the competent authority.

Signed by
 Rani C R
 Date: 11-07-2024 17:03:18

(Rani C R)
 Additional Commissioner (P&V)

To:
 The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)


Done
 17/10/2024

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Audit, Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Audit.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/15/2022-ESTT

ORDER 148/2024

Sub: Voluntary Retirement from Service in respect of Shri. Sudhir, Inspector, Customs Preventive Commissionerate - Reg.

In terms of the provisions of Fundamental Rule 56(k), the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi is pleased to permit Shri. Sudhir (DoB: 30.09.1970), Inspector, Customs Preventive Commissionerate to retire voluntarily from Government Service with effect from 30.09.2024 subject to all relevant conditions as applicable to Government servants under Voluntary Retirement Scheme pursuant to his representation dated 10.06.2024.

2. It is informed that the request for Earned leave in respect of Shri. Sudhir from 01.07.2024 to 30.09.2024, intended as preparatory leave to be taken concurrently with the notice period, has been sanctioned by the competent authority.

3. All dues in respect of Shri. Sudhir, Inspector pending if any, may be recovered from his retirement benefits as per rules.

Signed by

Rani C R

Date: 09-07-2024 17:41:16

[Rani C R]

Additional Commissioner [P&V]

done
17-10-2024

To

The Individual (Through the Controlling Officer concerned)

Copy Submitted to :

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**

Copy to:

1. **Asst. Commissioner in charge of Central Tax & Central Excise, Idukki Division.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Kochi/Customs Preventive Commissionerate.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Kochi/Customs Preventive Commissionerate.**
4. **The Superintendent (Confl./Vig.), Central Tax & Central Excise, Kochi/Customs Preventive Commissionerate.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **The Secretary, Central Excise Co-operative Society, Kochi.**
7. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-Estt

Date: 10.07.2024

ORDER NO. 147/2024

**Sub: Transfer and postings in the grades of Stenographer
Grade-I/Grade-II - Central Tax and Central Excise,
Thiruvananthapuram Zone - Reg.**

The following transfer and postings in the grades of Stenographer Grade-I/Grade-II are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Amit Kumar, Steno Gr-I	15.09.2000	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
2.	Aiswarya S. Nair, Steno Gr-II	03.01.1998	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	ADC (P&V)'s Unit, Hqrs Kochi with additional duties of JC (CCO)'s Unit, Thiruvananthapuram Zone
3.	Sidharth P. Siva, Steno Gr-II	04.02.2001	CCO-CCA	Chief Commissioner's Unit, Thiruvananthapuram Zone

2. The above order should be complied with latest by 15.07.2024 and the compliance reports should reach this office by 19.07.2024.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

done
17/07/2024

4. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 10-07-2010 [P&V]

Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Audit.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Audit.**
2. **The Superintendent (Systems/Vig.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT

Date: 10.07.2024

ORDER NO.- 146/2024

Sub: Transfer & Postings in the grades of Havaldar and Multi-Tasking Staff - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer & posting in the grades of Havaldar and Multi-Tasking Staff of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Date of Birth	From	To
1	Vineetha T.V., Havaldar	01.03.1979	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Retained at CCO-CCA
2.	Sawai Singh Meena, Multi-Tasking Staff	30-06-1990	Central Tax & Central Excise Audit Commissionerate, Kochi	Arrears Recovery Cell, Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

2. This is issued with the approval of the Competent Authority.

3. Hindi Version follows.

Signed by

Rani C R

[Rani C.R.]

Date: 10.07.2024 09:57:16
Additional Commissioner (P&V)

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

done
17/10/2024

2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
5. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
6. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
7. The Additional Director General, DGGI/ NACIN/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.

Copy to:

1. All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
2. The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit Comm'tes.
3. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi/ Audit Comm'tes.
4. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Kochi/ Audit Comm'tes.
5. The Superintendent (Vig./ Hqrs.) Central Tax & Central Excise , Kochi/ Audit Comm'tes.
6. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
7. Official Language Section – for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(7)/2/2023-ESTT

Date: 07.08.2024

ESTABLISHMENT CIRCULAR

Attention is invited to the following letter received from the CGST, Chandigarh Zone:

Sl. No.	Letter No. and date	Subject
1.	GCCO/II/39/RPTS/3/2024-ET-O/o CC-CGST-ZONE-CHANDIGARH dated 05.08.2024	Willingness for the post of Administrative Officer in CGST & CX., Chandigarh Zone by deputation

Copy of the above mentioned letter may be downloaded from the website of Kochi Commissionerate- www.cenexcisekochi.gov.in for information. The circular may be brought to the notice of all the officers working under your formation.

Signed by

Bindu C T

Date: 07.08.2024 11:08:56

[C. F. Bindu]

Deputy Commissioner [P&V]

To

1. The Deputy/ Assistant Commissioner of Central Tax and Central Excise, Ernakulam/Kakkanad/Aluva/Perumbavoor/Idukki/Chalakkudy/ Thrissur Divisions/Hqrs. Kochi Commissionerate.
2. The Superintendent (Systems) of Central Tax and Central Excise, Hqrs, Kochi- for uploading on website.
3. Notice Board, Hqrs Kochi.

Copy to:

The Assistant Commissioner (CCO), Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone- for information.

down
18/10/2024



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(7)/2/2023-Estt.

Date: 08.08.2024

स्थापना परिपत्र/ ESTABLISHMENT CIRCULAR

सीजीएसटी एवं सीएक्स, रांची क्षेत्र से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है/ Attention is invited to the following letter received from the CGST & CX, Ranchi Zone:

क्र.सं./ Sl. No.	पत्र क्रमांक एवं दिनांक/ Letter No. and date	विषय/ Subject
1.	GCCO/II/3/TRAN/35/2020-ESTT-1- O/o CC-CGST-ZONE-RANCHI dated 06.08.2024	सीजीएसटी और सीएक्स, रांची क्षेत्र, पटना में प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'बी' (राजपत्रित) के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरना / Filling up of the posts of Administrative Officer, Group 'B' (Gazetted) in CGST & CX, Ranchi Zone, Patna on deputation basis

उपरोक्त उल्लिखित पत्र की प्रति जानकारी के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट-
www.cenexcisekochi.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। परिपत्र को आपके गठन के

down
18/10/2024

तहत काम करने वाले सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।/ Copy of the above mentioned letter may be downloaded from the website of Kochi Commissionerate- www.cenexcisekochi.gov.in for information. The circular may be brought to the notice of all the officers working under your formation.

Signed by

Bindu C T

Date: 08-08-2024 11:15:23

[सी. टी. बिंदु /C. T. Bindu]

उपायुक्त (क. एवं सत्त.)/
Deputy Commissioner (P&V)

To

1. उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एर्नाकुलम/ कक्कानाड/ अलुवा/ चालाकुडी/ त्रिशूर/ पेरुंबवूर/ इडुक्की मंडल, कोच्चि। / The Deputy/ Assistant Commissioner, Central Tax and Central Excise, Ernakulam/ Kakkanad/ Aluva/ Chalakudy/ Thrissur/ Perumbavoor/ Idukki Divisions, Kochi.

2. अधीक्षक (प्रणाली), केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि। वेबसाइट में अपलोड करने हेतु / The Superintendent (Systems) of Central Tax and Central Excise, Hqrs, Kochi. for uploading in website

3. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय कोच्चि।/ Notice Board, Hqrs Kochi.

प्रतिलिपि/ Copy to:

संयुक्त आयुक्त (सीसीओ), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र। जानकारी के लिए / The Joint Commissioner (CCO), Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone. for information

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018
E-mail: cexcochinvigilance@rediffmail.com Phone: 0484-2390404

GEXCOM/VIG/MISC/295/2021-VIG

दिनांक Date: .07.2024

VIGILANCE CIRCULAR NO. 03/2024

Sub:- Marking of attendance in AEBAS System- Reg.

Instructions have been issued from time to time for observing punctuality by the Government employees. In this regard, DoPT vide F.No.11013/13/2023 dated 15th June 2024 has issued instructions that all employees should mark their attendance in AEBAS without fail (Copy enclosed). It has come to the notice of the undersigned that certain Officers are not marking their attendance in AEBAS systems.

The following Guidelines are issued for strict compliance:

1. All Officers without any exception will be required to mark their attendance at arrival and at departure time in the AEBAS machine.
2. The office timings as prescribed in this office Memorandum C.No.II/39/29/2015 Vig Cx Chn dated 25.06.2015 may be scrupulously followed. Each official has to put in at least 40 hours of work time for the full 5 days a week. As per the extant instructions the Office hours are from 0900 hrs to 1730 hrs with lunch interval from 1300 hrs to 1330 hrs.

down
17/10/2024
18.

3. As per extant instructions, (as contained in DoPT O.M. No. 28034/8/75- Estt.A dated 04.07.1975; No. 28034/10/75/Estt.-A dated 27.08.1975; No. 28034/3/82-Estt.-A dated 05.03.1982) half-a-day's Casual Leave should be debited for each day of late attendance, but late attendance up to an hour, on not more than two occasions in a month, and for justifiable reasons may be condoned by the Assistant/Deputy Commissioners. Suitable disciplinary action may be initiated by the Controlling Officer, in addition to debiting half-a-day's Casual Leave against Government servants who are habitually late. Early leaving is also to be treated in the same manner as late coming.

4. It is also observed that some Officers are utilizing more than the permitted time for taking lunch, idling time in canteen and also leaving office after marking attendance. All Supervisory Officers should ensure that the Officers working under them do not leave office after marking attendance and such absenteeism should be dealt with strictly.

5. The Divisional Officers should ensure that the AEBAS machines are properly installed and is in good working condition. In offices where the devices may not function properly on some days, the officers are required to maintain a register in the format as detailed below.

Sl. No	Date	Name of the Officer & Designation	Time In	Time Out	Signature	Countersign by the Supervisory Officer

6. All leave applications are required to be dealt with as per the directions in Vigilance Circular No. 01/2023 dated 10.01.2023. All leave are also required to be entered in advance in the BAS and in cases where it is not done the same will be treated as unauthorised absence.

7. Where an officer is required to go for an official duty such as search/Tour/Training in another office directly from home, or proceed in the

late afternoon from where he/she is not likely to return to office, an intimation to this effect will be furnished in advance to his/her Supervisory Officer. And also necessary Tour permission may be sought for and sanctioned in AEBAS. In case an officer is to attend some other Government office then such officer should mark his/her attendance in that office in the morning or evening as the case may be.

8. It is the duty of the reporting officer to ensure that all the subordinate officers are properly mapped under them and are marking their attendance in the System properly. If the officers are not marking attendance or found absent without leave in the BAS, the reporting/controlling officer will be held responsible. A report must be sent to the Superintendent (Systems) immediately on joining/relief of an officer or when there is a change in the reporting officer so that all officers can be properly mapped in / mapped out.
9. All Assistant/Deputy Commissioners are directed to check whether all officers working under them are properly mapped, verify their attendance and check whether the entries made therein are in compliance with the points mentioned in this Circular.

Signed by
Venkatesh Teklur Govindaswamy (T. G. VENKATESH)
Date: 05-07-2024 17:16:16 COMMISSIONER

To:

1. All Additional Commissioner/ Joint Commissioner in Hqrs., Kochi
2. Joint Commissioner/ Assistant Commissioner in CCO

3. **The Assistant Commissioner, Hqrs. Office, Kochi**
[Prev.-PRO-Prosecution-Arrear Cell/Admn.-P&V-Sevottam/Tech-Stat-Review/Adjn.-EDP-GST Cell/Legal-RTI-Training/Audit]
4. **The Deputy/Assistant Commissioner, Kakkanad /Idukki / Aluva/
Thrissur/ Perumbavoor / Ernakulam/ Chalakkudy Division**
5. **The Chief Accounts Officer, Hqrs. Office, Kochi**
6. **All Section Heads, Hqrs. Office, Kochi / CCO**
7. **The Superintendent (Systems) for uploading the Circular in the official website**

Copy submitted to:

**The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise & Customs,
Thiruvananthapuram Zone.**